कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्या :   /रिक्त चि0शि0/मे0का0झाँ0/2019–20   दिनांक : 20 दिसम्बर 2019

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी में संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु संशोधित विज्ञप्ति

पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति को निरस्त करते हुये उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 2262/71–2–2019 दिनांक 27–09–2019, महानिदेशालय चिकित्स शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के पत्र संख्या एम0ई0–2/2019/2868 दिनांक 14–10–2019 एवं पत्र दिनांक 14–11–2019 में दिये निर्देशों के अनुसार महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी में रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20 जनवरी 2020 तक पंजीकृत डाक से आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदों पर वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से कालेज स्तर पर गठित साक्षात्कार समिति की संस्तुति के आधार पर महानिदेशालय/उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के स्तर से चयन किया जाना है। संविदा के आधार पर अंतिम चयन की प्रकिया शासन/महानिदेशालय से की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है, कि वे साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों (समस्त शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण पत्र/शोध पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट, बायोडाटा सहित) सहित दिनांक 23 जनवरी 2020 को प्रधानाचार्य कार्यालय में समय 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। रिक्त पदों की संख्या नीचे तालिका में प्रदर्शित की जा रही है। शासन द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में 100 बिन्दुओं का रोस्टर एवं शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का–2/2019टी0सी0–1 दिनांक 13–08–2019 के आधार पर ही चयन प्रकिया की जायेगी।

कम	विशिष्टता का नाम	आचार्य				सह आचार्य				सहायक आचार्य			
		UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS
1	आर्थोपैडिक्स			1				1		1		1	
2	ऑफ्थैल्मोलॉजी	1								1	1		
3	ऑब्सटैट्रिक्स एण्ड गायनीकोलॉजी					2	1					1***	
4	एनाटॉमी		1					1		1	1		
5	एनेस्थीसियोलॉजी					1	1			1	1		
6	ओटो–राईनो–लैरिंगोलॉजी												1
7	कम्युनिटी मेडिसिन					1	1			1	1	1**	
8	कार्डियोलॉजी	1						1	1	1			
9	जनरल मेडिसिन	1		1		2	1			2	1	1	
10	जनरल सर्जरी		1					1			1		1
11	टयूबरकुलोसिस एण्ड रैसपीरेटरी मेडिसिन	1											
12	ट्रामा सर्जरी	1	1	1	1					1		1	
13	डर्मेटोलॉजी, वेरेनोलॉजी एण्ड लेप्रोसी					1							
14	डेन्टिस्ट्री		1				1						
15	न्यूरोलॉजी	1				1							
16	न्यूरोसर्जरी			1			1						
17	नेफ्रोलॉजी								1		1		
18	प्लास्टिक सर्जरी							1		1		1*	
19	पीडियाट्रिक्स	1				1	1			1			
20	पैथोलॉजी					1				1	2		
21	फार्माकोलॉजी							1					1
22	फिजियोलॉजी		1							1	1	1	
23	फोरेन्सिक मेडिसिन	1				1							
24	बायोकैमिस्ट्री		1										
25	माइक्रोबायोलॉजी				1		1			1			
26	यूरोलॉजी			1		1						1	
27	रेडियोडायग्नोसिस	1					1		1	2	1		
28	रेडियोथेरेपी								1		1#		1
29	साइकियेट्री							1				1	
	TOTAL	9	6	5	2	12	9	7	3	16	12	9	4

* Lecturer Orthodontics, ** Biostatistics, *** ANMO, # Medical physicist,

1– शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71–1–18–जी–63/2018 दिनांक 21–11–2019 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार संविदा पर नियुक्त आचार्य का वेतन रू0 1,35,000–00, सह आचार्य का नियत वेतन रू0 1,20,000–00, सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 90,000–00 प्रतिमाह है। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें पूर्व में निर्गत भिन्न–भिन्न शासनादेशानुसार होगी।

2– उपरोक्त पदों हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical Institution Regulation 1998 द्वारा एवं समय–समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना अनिवार्य है।

3– चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।

4– चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2005 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगी। संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगें।

5– उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्राईवेट प्रेक्टिस करने की अनुमति होगी।

6– नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत् चिकित्सा शिक्षको को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगें।

7– अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। सभी प्रकार का अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन को होगा।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झाँसी।

संख्या : 6504/रिक्त/मे0का0झाँ0/2019–20,   तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –:

1– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छटवाँ तल, उ0प्र0 लखनऊ।

2– सम्पादक, दैनिक अमर उजाला, झाँसी को इस अनुरोध से कि लोकप्रिय समाचार पत्र में दिनांक 21–12–2019 के अंक में डी0ए0वी0पी0 दरों पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने का कष्ट करें।

3– सम्पादक, दैनिक जागरण, झाँसी को इस अनुरोध से कि लोकप्रिय समाचार पत्र में दिनांक 21–12–2019 के अंक डी0ए0वी0पी0 दरों पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने का कष्ट करें।

4– प्रभारी अधिकारी–वेब साइट, मेडिकल कालेज, झाँसी को इस आदेश के साथ कि कालेज की वेब साइट पर सूचना अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

5– संयोजक, साक्षात्कार समिति, मेडिकल कालेज, झाँसी को इस आशय से कि नियत तिथि पर साक्षात्कार कराना सुनिश्चित करें।

6– प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज– कानपुर, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, उरई, कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झाँसी।